HARYANA POLICE CITIZEN SERVICES (हरियाणा पुलिस नागरिक सेवा)

FIRST INFORMATION REPORT
(Under Section 154 Cr.P.C.)
प्रथम सूचना रिपोर्ट
(धारा 154 दंड प्रक्रिया सहिंता के तहत)

1. **District (ज़िला):** FARIDABAD **P.S. (थाना):** SECTOR-31 FARIDABAD **Year (वर्ष):** 2019

FIR No. (प्र.सू.रि. सं.): 0177 **Date (दिनांक):** 03/05/2019 22:00

2.

S.No. (क्र.सं.)	Acts (अधिनियम)	Sections (धारा(एँ))
1	IPC 1860	120-B
2	IPC 1860	406
3	IPC 1860	420
4	IPC 1860	506

3. **(a)** **Occurrence of offence (अपराध की घटना):**

1 **Day (दिन):** **Date from (दिनांक से):** **Date To (दिनांक तक):**

Time Period (समय अवधि): **Time From (समय से):** **Time To (समय तक):**

(b) **Information received at P.S. (थाना जहां सूचना प्राप्त हुई):** **Date (दिनांक):** 03/05/2019 **Time (समय):** 22:00 hrs

(c) **General Diary Reference (रोजनामचा संदर्भ):** **Entry No. (प्रविष्टि सं.):** 037 **Time (समय):** 03/05/2019 23:03 hrs

4. **Type of Information (सूचना का प्रकार):** Written

FIRST INFORMATION REPORT
(Under Section 154 Cr.P.C.)
प्रथम सूचना रिपोर्ट
(धारा 154 दंड प्रक्रिया सहिंता के तहत)

5. Place of Occurrence (घटनास्थल):

1. **(a) Direction and distance from P.S. (थाना से दूरी और दिशा):** WEST, 2 Km(s) **Beat No. (बीट सं.):**

   (b) Address (पता): SRS टावर मुथरा रोड फरीदाबाद,

   (c) In case, outside the limit of this Police Station, then Name of P.S. (यदि थाना सीमा के बाहर है तो थाना का नाम):

   District (State) (जिला (राज्य)):

6. Complainant / Informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता):

(a) Name (नाम): सुरेंद्र कुमार वस्ष्ठि

(b) Father's Name (पिताका नाम): श्री हरस्वरुप वस्ष्ठि

(c) Date/Year of Birth (जन्म तिथि / वर्ष): 1969 **(d) Nationality (राष्ट्रीयता):** INDIA

(e) UID No. (यूआईडी सं.):

(f) Passport No. (पासपोर्ट सं.):

Date of Issue (जारी करने की तिथि): **Place of Issue (जारी करने का स्थान):**

(g) Occupation (व्यवसाय):

(h) Address (पता):

S.No. (क्र.सं.)	Address Type (पता का प्रकार)	Address (पता)
1	Present Address	मकान न 416, सैक्टर 21 बी फरीदाबाद, FARIDABAD, HARYANA, INDIA
2	Permanent Address	मकान न 416, सैक्टर 21 बी फरीदाबाद, FARIDABAD, HARYANA, INDIA

(i)

FIRST INFORMATION REPORT
(Under Section 154 Cr.P.C.)
प्रथम सूचना रिपोर्ट
(धारा 154 दंड प्रक्रिया सहिंता के तहत)

Phone number (दूरभाष सं.): **Mobile (मोबाइल सं.):**

7. Details of known / suspected / unknown accused with full particulars (ज्ञात / संदिग्ध / अज्ञात अभियुक्त का पूरे विवरण सहित वर्णन):

S. No. (क्र.सं.)	Name (नाम)	Alias (उपनाम)	Relative's Name (रिश्तेदार का नाम)
1	पवन सिंघल		Father's Name: श्री जी0 आर0 सिंघल
2	श्रीमति चंचल सिंघल		Husband's Name: श्री पवन सिंघल

8. Reasons for delay in reporting by the complainant / informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता द्वारा रिपोर्ट देरी से दर्ज कराने के कारण):

9. Particulars of properties of interest (संबन्धित सम्पत्ति का विवरण):

S. No. (क्र.सं.)	Property Type (सम्पत्ति के प्रकार)	Sub Type (उप प्रकार)	Value(In Rs/-) (मूल्य (रु में))

10. Total value of property stolen (In Rs/-) (चोरी हुई सम्पत्ति का कुल मूल्य(रु में)):

11. Inquest Report / U.D. case No., if any (मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट / यू.डी.प्रकरण सं., यदि कोई हो):

S. No. (क्र.सं.)	UIDB Number (यू.डी.प्रकरण सं.)

12. First Information contents (प्रथम सूचना तथ्य):

सेवा मे पुलिस कमिशनर साहब सैक्टर -21 सी फरीदाबाद विषय:- दरखास्त बराये किये जाने कानुनी

कार्यवाही बर खिलाफ 1. जितेंद्र कुमार गर्ग पुत्र श्री पी. एन. गर्ग निवासी मकान न. 537 सैक्टर 14 फरीदाबाद डायरेक्टर एस. आर. एस. रियल इस्टेट प्राईवेट लिमिटेड पता एस. आर. एस. टावर मेवला महाराजपुर 2. पवन सिंघल पुत्र श्री जी. आर. सिंघल निवासी मकान न. 2591 सैक्टर 21-बी फरीदाबाद 3. श्रीमति चंचल सिंघल पत्नी श्री पवन सिंघल निवासी मकान न. 2591 सैक्टर 21 बी फरीदाबाद 4. मेसर्स एस. आर .एस. रियल इस्टेट प्रा. लि. पता एस. आर. एस. टावर थर्ड फ्लोर, मेटरो स्टेशन मेवला महाराजपुर फरीदाबाद श्रीमान जी निवेदन है कि मै सुरेंद्र कुमार वशिष्ठ पुत्र श्री हरस्वरुप वशिष्ठ निवासी मकान नम्बर 416 सैक्टर 21 भी फरीदाबाद का स्थाई निवासी हुँ। और विल्डिंग कन्ट्रैक्शन का काम करता हुँ। हमारी वशिष्ठ विल्डर्स एवम इंजिनियर के नाम से फर्म है । मेरी बिल्डिंग कन्ट्रेक्शन का काम होन के कारण एस. आर. एस. रियल इस्टेट के मैनेजिंग डायेरैक्टर जे.के गर्ग वा पवन सिंघल से अच्छी जान पहचान थी । सन 2013 मे मुझे पवन सिंघल न कहा की मेरा एस. आर. एस. रियल इस्टेट मे 50 प्रतिशत का हिस्सा है मै आपको इस कम्पनी मे कन्ट्रैक्शन का कार्य दिलवा दुंगा । जुन 2013 मे पवन सिघल अपने साथ जितेंद्र कुमार गर्ग को अपने साथ लेकर मेरे घर मकान न. 416 सैक्टर 21 बी फरीदाबाद मे आया तथा दोनो ने मुझे एस. आर. एस. रियल इस्टेट मे पैसा लगा कर काम करने के लिये कहा । जो मैने अपनी स्वीकृती दे दी । दोनो मुझे कहन लगे की आपको हमारी कम्पनी मे काम करने का काफी फायदा होगा । और फायदा का पुरा आश्वासन दिया तथा हम आपको अनिल जिन्दल से कहकर प्रोजैक्ट मे हिस्सेदारी दिलवा देंगे । जो मै उनके इस बहकावे मै आ गया । दिनांक 14/06/2013 को एस. आर. एस. रियल इस्टेट के साथ हमारी कम्पनी वरिष्ठ बिल्डर एन्ड इंजीनियरिंग प्रा. लि. का एक इकरार नामा हुआ जिस मे हमारी कम्पनी ने 626 फ्लैट एवं कामर्शियल तथा ई. डव्लू. एस. फ्लैट बनाने थे । जो हमारी कम्पनी ने काम सुरु कर दिया जो फ्लैट फ्लैट तैयार करने मे लगभग 61 करोड 50 लाख की लागत आई। जिसमे से लगभग 54 करोड रुपये कम्पनी एस. आर. एस. की तरफ से हमारी वरिष्ट बिल्डर एंन्ड ईजीनियरिगं प्रा0 लि0 मे अदा किये मैने बकाया भुगतान के लिए कहा तो जे. के. गर्ग वा पवन सिंघल ने कहा कि अभी कम्पनी के फ्लैट की विक्री होनी है जिसमे से पैसा आने पर हम आपको बकाया रकम लौटा देगे या आपको फलैट बेचने का अधिकार दे देगे । तो मै उनके झासे मे आ गया जब मेरी वकाया रकम मुझे प्राप्त नही हुई और मै बार-बार अपनी बकाया रकम उन लोगो से माँगता रहा । इस प्रकार माह जुलाई 2015 मे जे. के. गर्ग वा पवन सिघल ने मुझे कहा कि हमारी कम्पनी एस. आर. एस. रियल इस्टेट सै. 7 पलवल मे 10 एकड जमीन ली है तथा उसमे फलैट वनाने का काम शुरु करना है उसमे हम आपको हिस्सेदार वनवा

FIRST INFORMATION REPORT
(Under Section 154 Cr.P.C.)
प्रथम सूचना रिपोर्ट
(धारा 154 दंड प्रक्रिया सहिंता के तहत)

देते है । तथा 14 जुलाई 2015 को एक एम. ओ. यु. जमीन के मालिको तथा एस. आर. एस. रियल इस्टेट और हमारी कम्नी तथा पवन सिघल के मध्य हुआ जिसमे एस. आर. एस. रियल इस्टेट के मैनेजिंग डायरैक्टर जे. के. गर्ग मैसर्स रियल टैक प्रा. लि. मैसर्स प्रिमियम रियल बिल्ड प्रा. लि. के डायरेक्टर रिषी प्रकश चिकारा मैसर्स सिघल प्रोपरट्रीज बिल्डर्स प्रा0 लि0 के डायरेक्टर पवन सिंघल तथा हमारी कम्पनी मैसर्स वस्ष्ठि बिल्डर्स एन्ड इंजिनियरिंग ने अपने अपने हस्ताक्षर किये तथा 40.95 प्रतिशत एस. आर. एस. रियल इस्टेट, 16.45 प्रतिशत मैसर्स मनसा रियल टैक प्रा0लि0, 12.60 प्रतिशत मैसर्स प्रीमियम रियल इस्टेट, बिल्ड प्रा0 लि0, 10 प्रतिशत मैसर्स मैसर्स सिघल प्रोपरट्रीज बिल्डर्स प्रा0लि0, वा 20 प्रतिशत हमारी कम्पनी की हिस्सेदारी तैय हुई और हमारी कम्पनी ने पैसे लगाकर सैक्टर-7 पलवल मे काम आरम्भ कर दिया । जिसमे लगभग 10 करोड रुपये हमारी कम्पनी ने खर्च कर दिये तथा लगभग 2 करोड रुपये एस. आर. एस. रियल इस्टेट ने हमरी कम्पनी को वापिस किये लगभग 8 करोड रुपये भी सैक्टर 7 के प्रोजेक्ट का नही लौटाया तथा ना ही मुझे फलैट बैचने का अधिकार दिया तथा हमे बार-बार आश्वासन देते रहे कि प्रोजेक्ट मे आपकी हिस्से दारी है आपको फलैट बेचने का अधिकार दे देगे आप फलैट बेचकर अपनी रकम चुकता कर लेगे । और न ही आज तक हमे फलैट बेचने का अधिकार दिया । तथा दुसरा बेक अकाउंट खोलकर मोझे बिना बताये उससे पेसे निकालते रहे जिसमे मेरी सहमती नही ली गई । इस संम्बध मे मेरे द्वारा पहले ही इनको पहले भी नोटिस दिया था किन्तु उन्होने कोई जवाब नही दिया । सितम्बर 2015 मे पवन सिंघल वा उसकी पत्नी श्रीमति चंचल सिघल हमारे घर आये तथा कहा कि सै. 7 के प्रोजेक्ट मे जो 10 प्रतिशत हिस्सेदारी एस. आर. एस. रियल इस्टेट मे हमारी हिस्सेदारी वा हम आपको दे दगे आप हमे 1.25 करोड रुपये दे दो जो मैने 79 लाख रुपये का चैक न. 163034 दिनांक 09/09/2015 पवन सिघल तथा 46 लाख चैक न. 162954 दिनांक 09/09/2015 उनके पत्नी चंचल को दे देये जिन्होने अपने-अपने बैंक खातो मे लगाकर दोनो चैको की रकम क्लीयर करा ली बाद मे जब मैने उनको अपना शेयर हमारी कम्पनी के नाम करने को कहा तो टाल मटोल करने लगे औऱ मेरे बार – बार कहने पर पवन सिँघल ने सन 2016 मे 21 लाख रुपये वा 79 लाख रुपये के चैक दिये दोनो चैक जब हमने अपनी के खाते मे लगाये तो बाउंस हो गये । इस बारे मे तब मैने पवन सिंघल को कहा तो आपके दिये दोनो चैक बाउंस हो गये है तो पवन सिंघल ने कहा कि मै आपको पैसे लौटा दुंगा या आप अपनी कम्पनी का हिस्सा तुम्हारे नाम कर दुँगा जिसने ना तो मुझे मेरे पैसे लौटाए औऱ ना ही अपनी कम्पनी के शेयर मुझे दिये । अब हमने अपने स्तर पर पताजोहि की तो मालुम हुआ कि एस. आर. एस. रियल

FIRST INFORMATION REPORT
(Under Section 154 Cr.P.C.)
प्रथम सूचना रिपोर्ट
(धारा 154 दंड प्रक्रिया सहिंता के तहत)

एस्टेट व पवन सिंघल ने मिलकर सै. 6 वा सै.. 7 के प्रोजेक्ट पहले भी बेचे हुये थे तथा लोगो से पैसे लिये है इस प्रकार जे. के गर्ग वा पवन सिंघल वा उसकी पत्नी ने आपस मे मिलकर मेरी रकम दोनो प्रोजक्ट मे लगाकर धोखे से झुठ बोलकर धोखाधडी से मेरी रकम लगवाकर वा षडयंत्र रचकर हमसे जालसाजी की है । जनाब से अनुरोध है कि मेरी रकम जो उपरोक्त आरोपियो ने धोखे से हडप ली है वो दिलवाई जाये औऱ इनके खिलाफ सख्त से सख्त कानुनी कार्यवाही की जावे मुझे न्याय दिलवाया जावे । Sd:- Surender Kumar Vashishth सुरेन्द्र कुमार वशिष्ठ पुत्र श्री हरस्वरुप वशिष्ठ निवासी मकान नं. 416 सैक्टर 21 बी फरीदाबाद हरियाणा मो. नं. 8527179990 अज थाना :- एक परिवाद नम्बरी 2672/CC/E दिनांक 08/11/18 बाद जाँच EOW CELL सैन्ट्रल जौन फरीदाबाद मार्फत पुलिस आयुक्त फरीदाबाद जिस पर DCP सैन्ट्रल साहब ने Registered The case and Investigation be handed over to EOW Central Fbd तहरीर किया हुआ बजरिया डाक थाना मे प्राप्त हुई जिस पर मुकदमा नम्बर 177 दिनांक 03.05.2019 U/S 406.420.506.120 B IPC थाना सैक्टर 31 फरीदाबाद मे दर्ज रजिस्टर किया जाकर मुकदमा हजा की प्रथम सुचना रिपोर्ट कम्पुटराईज तैयार करके सम्बन्धित अफसरान बाला वा ईलाका मजिस्ट्रेट की सेवा मे भेजी जायेगी । नकल मिशल पुलिस मय असल दरखास्त बजरिया डाक आगामी तपतीस हेतु EOW CELL सैन्ट्रल जौन फरीदाबाद भेजी जा रही है। यह मुकदमा SI प्रदीप कुमार की हाजरी मे दर्ज किया गया है। नोट:- प्रभारी EOW CELL सैन्ट्रल जौन फरीदाबाद की CCTNS ID ना होने के कारण ASI नारायण दत्त को दर्शाया गया है ।

13. Action taken: Since the above information reveals commission of offence(s) u/s as mentioned at Item No. 2.
(की गयी कार्यवाही : चूंकि उपरोक्त जानकारी से पता चलता है कि अपराध करने का तरीका मद सं. 2 में उल्लेख धारा के तहत है.):

(1) **Registered the case and took up the investigation (प्रकरण दर्ज किया गया और जांच के लिए लिया गया):** **or (या)**

(2) **Directed (Name of I.O.) (जांच अधिकारी का नाम):** NARAYANA DUTT **Rank (पद):** Asst. SI (Assistant Sub-Inspector)

No. (सं.): 1900FBD **to take up the Investigation (को जांच अपने पास में लेने के लिए निर्देश दिया गया) or (या)**

FIRST INFORMATION REPORT
(Under Section 154 Cr.P.C.)
प्रथम सूचना रिपोर्ट
(धारा 154 दंड प्रक्रिया सहिंता के तहत)

(3) Refused investigation due to (जांच के लिए): **or (के कारण इंकार किया या)**

(4) Transferred to P.S. (थाना): **District (ज़िला):**

on point of jurisdiction (को क्षेत्राधिकार के कारण हस्तांतरित).

F.I.R. read over to the complainant / informant, admitted to be correctly recorded and a copy given to the complainant /informant, free of cost. (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता को प्राथमिकी पढ़ कर सुनाई गयी, सही दर्ज हुई माना और एक कॉपी निशुल्क शिकायतकर्ता को दी गयी)

R.O.A.C. (आर.ओ.ए.सी.)

14. Signature / Thumb impression of the complainant / informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता के हस्ताक्षर /अंगूठे का निशान)

Signature of Officer in charge, Police Station (थाना प्रभारी के हस्ताक्षर)

Name (नाम): Deep Chand

Rank (पद): I (Inspector)

No. (सं.): 40GGN

15. Date and time of dispatch to the court (अदालत में प्रेषण की दिनांक और समय):

FIRST INFORMATION REPORT
(Under Section 154 Cr.P.C.)
प्रथम सूचना रिपोर्ट
(धारा 154 दंड प्रक्रिया सहिंता के तहत)

Attachment to item 7 of First Information Report (प्रथम सूचना रिपोर्ट के मद 7 संलग्नक):

Physical features, deformities and other details of the suspect/accused: (If known / seen)

(संदिग्ध / अभियुक्त की शारीरिक विशेषताएँ, विकृतियाँ और अन्य विवरण: (यदि ज्ञात / देखा गया))

S. No. (क्र.सं.)	Sex (लिंग)	Date / Year Of Birth (जन्म तिथि / वर्ष)	Build (बनावट)	Height (cms) (कद (से.मी.))	Complexion (रंग)	Identification Mark(s) (पहचान चिन्ह)
1	2	3	4	5	6	7
1	Male					**Is Proxitted:** Yes
2	Female					**Is Proxitted:** Yes

Deformities / Peculiarities (विकृतियाँ / विशिष्टताएँ)	Teeth (दाँत)	Hair (बाल)	Eye (आँखें)	Habit(s)(आदतें)	Dress Habit (s) (पहनावा)
8	9	10	11	12	13

Language/Dialect (भाषा/बोली)	Place of (का स्थान)					Others (अन्य)
	Burn Mark (जले हुए का निशान)	Leucoderma (लुकोदेर्मा(सफ़ेद धब्बे))	Mole (मस्सा)	Scar (घाव)	Tattoo (गूदे हुए का)	
14	15	16	17	18	19	20

These fields will be entered only if complainant/informant gives any one or more particulars about the suspect/accused.
(यह क्षेत्र तभी दर्ज किए जाएंगे यदि शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता संदिग्ध / अभियुक्त के बारे में कोई एक या उससे अधिक जानकारी देता है)